उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-12
संख्या- 59/2025/001-402-23-12-2025-(1844185)
दिनांकः 22 मार्च, 2025

शुद्धि-पत्र

शासनादेश सं0-52/2025/001-365-23-12-2025-(1844185) दिनांक 19.03.2025 के प्रस्तर-1 की चतुर्थ पंक्ति एवं प्रस्तर-2 की प्रथम पंक्ति में टंकक त्रुटिवश धनराशि रू0 73.33 लाख (रूपये तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) के स्थान पर रू0 77.33 लाख (रूपये सहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) अंकित हो गया है।

2. अत: उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की चतुर्थ पंक्ति एवं प्रस्तर-2 की प्रथम पंक्ति में अंकित रू0 77.33 लाख (रूपये सहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0 73.33 लाख (रूपये तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) पढ़ा एवं समझा जाय।

उक्त शासनादेश दिनांक 19.03.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत हैं।

(रिपुंजय गुप्ता)
उप सचिव

सं0-59/2025/001-402(1)-23-12-2025-(1844185) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुंजय गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in